न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :— मनमोहन मीना, आर.ए.एस.
अति0 जिला कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नंबर :— जीसीएमएस नंबर 2024/64
मैन्युअल नंबर 08/2024

रजु दिनांकः :— 29.10.2024

1. दिलीपसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति राजपूत निवासी इन्दावा तहसील लालसोट जिला–दौसा।
2. दुर्गेशसिंह पुत्र विजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी इन्दावा तहसील लालसोट जिला–दौसा।
3. दशरथसिंह पुत्र विजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी इन्दावा तहसील लालसोट जिला–दौसा।

(निगरानीकर्त्ता)

बनाम

1. कर्णसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी इन्दावा तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. सरपंच ग्राम पंचायत इन्दावा पंचायत समिति लालसोट।
3. ग्राम पंचायत इन्दावा जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत इन्दावा पंचायत समिति लालसोट जिला–दौसा।

(गैर निगरानीकार)

उपस्थितः— 01. निगरानीकारान की ओर से : श्री एन.एल. मीना एडवोकेट
02. गैर निगरानीकार नं. 1 की ओर सेः : श्री रामबाबू शर्मा एडवोकेट

निर्णय दिनांकः 07/07/2025

निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत राजौली बाबत पट्टा संख्या 09 दिनांक 05.11.2004

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकारान की ओर से ग्राम पंचायत राजौली द्वारा जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 05.11.2004 के विरूद्ध इस आशय की पेश की है कि सरपंच ग्राम पंचायत राजौली द्वारा गैर निगरानीकार कर्णसिंह के नाम उक्त पट्टा जारी कर दिया जबकि मौके पर कर्णसिंह का कोई कब्जा नहीं है बल्कि निगरानीकारान के पूर्वजो के समय से ही पक्के मकान बने हुए है जिन पर अवैध पट्टे की आड में गैरनिगरानीकार कर्णसिंह कब्जा करना चाहता है। निगरानीकारान ने ग्राम पंचायत राजौली द्वारा जारी पट्टा संख्या 09 विधि एवं न्यायिक प्रक्रियाओ के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय करार दिया है।

निगरानीकारान ने आगे अभिवचन किए है कि उक्त पट्टे पर न तो मिसल संख्या है और ना ही तारीख दायर की दिनांक अंकित है तथा ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। राजस्थान पंचायत राज अधि0 के प्रावधानो अनुसार किसी भी आबादी भूमि में पट्टा लेने से पूर्व आवेदन मय शुल्क दिया जाता है तथा आवेदन उपरान्त आपत्ति नोटिस जारी किये जाते है और वार्ड पंचो की कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण किया जाता है तथा इस प्रक्रिया का हवाला प्रोसीडिंग रजिस्टर में दिया जाता है लेकिन उक्त पट्टा किस समय किस तारीख को जारी किया, इसका लेस मात्र भी पंचायत रिकार्ड में हवाला नही होने से यह पट्टा विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

निगरानीकारान ने निगरानी के साथ प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद पेश कर ग्राम पंचायत राजौली द्वारा जारी पट्टा संख्या 9 दिनांक 05.11.2004 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकारान की तलवी की गई। ग्राम पंचायत राजौली से पट्टे से संबंधित मूल अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में गैर निगरानीकार सं0 01 द्वारा पेश प्रारंभिक आपत्ति दफा 5 मियाद अधिनियम न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2025 को खारिज कर निस्तारित की गई तथा निगरानी की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकारान ने निगरानी के तथ्यों को दोहराया तथा प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नही होने का कथन करते हुए निगरानीकार की निगरानी स्वीकार कर आदेश ग्राम पंचायत राजौली बाबत पट्टा संख्या 9 दिनांक 05.11.2004 खारिज फरमाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता निगरानीकारान ने अपने अभिवाकों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये है:–

2016(4) DNJ (Raj.) 1799 Rajasthan High Court Shanti Devi vs State of Rajasthan & Ors पेज नं0 209–210 ।

उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 – धारा 97 – राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996– नियम 157– पट्टा रद्द करने हेतु निगरानी – जिला कलेक्टर ने पट्टा निरस्त किया– पट्टा से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था–नियम 157(2) के उल्लंघन में पट्टा जारी किया–मौके पर निर्माण, झौंपडी या कच्चा मकान होना साबित करने हेतु साक्ष्य नहीं– मौके के फोटो भी पेश नहीं किये – साबित करने हेतु सामग्री नहीं कि याचीगण के पास अन्य मकान अथवा मकान की जगह नहीं है–निर्णीत, याचीगण पट्टा स्वीकृत करने हेतु योग्य नहीं थे तथा कलेक्टर ने पट्टा सही निरस्त किया।"

RRT 2011 (2) Page no. 1219 Rajasthan High Court (Jaipur Bench) Prabhati lal Vs Additional District Collector, Sikar & Ors.

उक्त कानूनी दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "भूमि का आवंट–रेस्पोडेन्ट नं0 2 के पक्ष में किया गया आवंटन पत्रावली उपलब्ध न होने के आधार पर निरस्त किया– अति0 कलेक्टर ने प्रार्थी के पक्ष में बाद में जारी पट्टे को निरस्त किया – समान भूमि का ही पट्टा प्रार्थी को जारी किया– रेस्पोडेन्ट नं0 2 को जारी पट्टे को चुनौती नहीं दी– निर्णीत, आदेश किसी विधिक शिथिलता से ग्रस्त नहीं है व यथावत रखा।"

बहस के दौरान अधिवक्ता गैर निगरानीकार नं. 1 ने कथन किए है कि उक्त प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि पर गैर निगरानीकार नं. 1 का मकान बना हुआ है व रिकॉर्ड अनुपलब्ध होना

पट्टे को निरस्त करने का आधार नही है। अधिवक्ता गैर निगरानीकार नं0 1 ने निगरानी को सारहीन करार देते हुए निगरानी खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया। इसके उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत राजौली बाबत पट्टा संख्या 09 दिनांक 05.11.2004 को स्वीकार किया जाना उचित है अतः निगरानीकारान की निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत राजौली बाबत पट्टा संख्या 09 दिनांक 05.11.2004 स्वीकार कर ग्राम पंचायत राजौली द्वारा जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 05.11.2004 खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07/07/2025 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

(मन[illegible] मीना, आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट,दौसा